

न्यायालय : भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

::: संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 12.04.2024 से प्रभावशील :::

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश के पालन में गुना एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) का स्थानांतरण /पदस्थापना हुई है। अतः स्थानांतरित अधिकारीगण का नाम विलोपित कर उनके समक्ष नवीन अधिकारीगण का नाम उल्लेखित किया जाता है।

अतः मैं भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना इस न्यायिक स्थापना, गुना प्रशासनिक कार्य वयवस्था की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2022 प्रभावशील दिनांक 29.08.2022 में निम्नानुसार **आगामी आदेश तक** संशोधन समाविष्ट किया जाना प्रस्तावित है जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश महोदय गुना के अनुमोदन उपरांत दिनांक 12.04.2024 से प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा:-

क्रमांक	स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट	नवीन पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	2	3
1	श्री मोहित श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना	नितेन्द्र सिंह तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना
2	श्री निशांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना	श्रीमती ऋतु श्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना
3	श्री गुंजन शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़,	श्री मोहम्मद जफर खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़,
4	श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना	श्री चेतन बजाड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना
5	सुश्री अंजना यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौड़ा	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौड़ा
6	सुश्री चेतना दशोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौड़ा	सुश्री प्रियम सेन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौड़ा

::: धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियों वर्ष 2024 :::

::: अनुसूची "ब" :::

प्रभावशील दिनांक 12.04.2024

क.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
1	आरक्षी केन्द्र शहर कोतवाली एवं म्याना सहित आरक्षी केन्द्र अजाक (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	श्री चेतन बजाड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
2	आरक्षी केन्द्र महिला (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती ऋतु श्री गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0

3	आरक्षी केन्द्र कैन्ट एवं बजरंगगढ़ (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	श्री सुरेश बर्गीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
4	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, फतेहगढ़, बजरंगगढ़ एवं बमौरी (मात्र महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण)	श्रीमती श्रुति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
5	आरक्षी केन्द्र कैन्ट, म्याना, सिरसी एवं धरनावदा (गुना तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) सहित आरक्षी केन्द्र अजाक (मात्र महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण)	श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
6	आरक्षी केन्द्र सिरसी, बमौरी, धरनावदा (तहसील गुना क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	श्री अभिजीत वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना
7	आरक्षी केन्द्र फतेहगढ़, (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती सरिता डाबर वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना म0प्र0
8	आरक्षी केन्द्र आरोन (महिला उत्पीड़न सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री हीरालाल सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन
9	आरक्षी केन्द्र राधौगढ़ एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (मात्र महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण)	श्री हीरालाल सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन
10	आरक्षी केन्द्र राधौगढ़ एवं कचनार (आरोन तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री रेणु खेस, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आरोन
11	आरक्षी केन्द्र चाचौंडा एवं कुंभराज (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	सुश्री प्रियम सेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चाचौंडा
12	आरक्षी केन्द्र मृगवास (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्रीमती श्वेता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चाचौंडा
13	आरक्षी केन्द्र मधूसूदनगढ़ एवं धरनावदा (राधौगढ़ तहसील क्षेत्राधिकारान्तर्गत) (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	मो. जफर खॉन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़
14	आरक्षी केन्द्र विजयपुर (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री आशीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राधौगढ़

15	आरक्षी केन्द्र राघौगढ, जामनेर (महिला उत्पीड़न प्रकरण सहित अन्य समस्त प्रकरण)	श्री रवि तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ
----	--	--

नोट – उपर्युक्तानुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन लिये जाने हेतु अनुसूची 'अ' अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जावेगी एवं अनुसूची 'अ' के प्रभारी मजिस्ट्रेट पर संबंधित थाना होने की दशा में अन्य कमवर्ती मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन लिये जायेंगे।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ. क्रमांक— /2024

गुना, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुना/आरोन/राघौगढ/चांचौड़ा के न्यायालय की ओर सचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, फाइलिंग रिसीविंग सेन्टर, गुना/आरोन/राघौगढ/चांचौड़ा की ओर पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, न्यायालय गुना/आरोन/राघौगढ/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सिस्टम आफिसर गुना की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)